Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में नगर पालिका चौंमू का सहायक नगर नियोजक 15 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *28 जून, मंगलवार*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसयू–प्रथम जयपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये दीवाकर शर्मा सहायक नगर नियोजक नगर पालिका चौंमू जिला जयपुर को परिवादी से **15 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर एसयू–प्रथम इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी भूमि का आबादी का पट्टा जारी करने की एवज में दीवाकर शर्मा सहायक नगर नियोजक नगर पालिका चौंमू जिला जयपुर द्वारा **40 हजार रूपये** की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर एसयू–प्रथम इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह नैन** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्रीमती अर्चना मीना एवं उनकी टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये दीवाकर पुत्र मदनलाल शर्मा निवासी बी–19 विजय सिंह पथिक नगर भीलवाडा, हाल किरायेदार व्यास मार्केट चौमू जयपुर, हाल सहायक नगर नियोजक नगर पालिका चौंमू जिला जयपुर को परिवादी से **15 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी सहायक नगर नियोजक द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान ही परिवादी से 5 हजार रूपये रिश्वत के रूप में वसूल कर लिए थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।